

मुख्य खनिजों की रायल्टी दरें

(14 अक्टूबर 2004 से प्रभावशील)

1. अगेट	विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार
2. एपेटाइट और रॉक-फास्फेट	
(i) एपेटाइट	विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत मूल्यानुसार
(ii) रॉक-फास्फेट	
क - 25% पी ₂ ओ ₅ से उपर	विक्रय मूल्य का 11 प्रतिशत, मूल्यानुसार
ख - 25% पी ₂ ओ ₅ तक	विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत, मूल्यानुसार
3. एस्बेस्टास	
क- फिसोटाइल	आठ सौ रुपये प्रतिटन
ख- ऐम्फिबोल	पैंतालिस रुपये प्रतिटन
4. बेराइट्स	विक्रय मूल्य का साढ़े पांच प्रतिशत, मूल्यानुसार
5. बाक्साइट और लैटराइट	(क) एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में प्रयोग के लिए प्रेषित किए गए उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट एल्युमिनियम धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय एल्युमिनियम धातु मूल्य का 0.40 प्रतिशत । (ख) एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के प्रयोग से भिन्न प्रयोग के लिए तथा निर्यात के लिए प्रेषित किए गए माल के लिए विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
6. ब्राउन इल्मेनाइट (ल्यूकायक्सीन) इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकान	विक्रय मूल्य का 2 प्रतिशत मूल्यानुसार
7. कैडमियम	विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार
8. कैल्साइट	विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत मूल्यानुसार
9. चीनी मिट्टी/केओलिन (जिसके अन्तर्गत बालक्ले, श्वेत शैल और श्वेत क्ले भी हैं)	
(क) अपरिष्कृत	तेइस रुपये प्रतिटन
(ख) प्रसंस्कृत (जिसके अन्तर्गत धुली हुई भी हैं)	पिचासी रुपये प्रतिटन

10. क्रोमाइट

विक्रय मूल्य का 7.5 प्रतिशत मूल्यानुसार

11. कोयला (लिग्नाइट सहित) (16.8.2002 से प्रभावशील कोयला की रायल्टी दरें)

अ – पश्चिम बंगाल को छोड़कर उत्पादक राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्य.

(i) ग्रुप-I कोयला

- (ए) कोक कारी कोयला
स्टील ग्रेड-I
स्टील ग्रेड-II
धावन शाला ग्रेड-II

- (बी) आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय
और नागालैण्ड में हाथ से चुना
हुआ कोयला

दो सौ पचास रुपये प्रतिटन

(ii) ग्रुप-II कोयला

- (ए) कोक कारी कोयला धोवन शाला ग्रेड-II
कोक कारी कोयला धोवन शाला ग्रेड- III

- (बी) अर्ध कोक कारी कोयला ग्रेड-I
अर्ध कोक कारी कोयला ग्रेड- II

- (सी) गैर कोक कारी कोयला ग्रेड – ए
गैर कोक कारी कोयला ग्रेड – बी

- (डी) अरुणाचल प्रदेश, आसाम मेघालय एवं
नागालैण्ड में उत्पादित उन्नपित
आर.ओ.एम.कोयला

एक सौ पैसठ रुपये प्रतिटन

(iii) ग्रुप –III कोयला

- (ए) कोक कारीकोयला धोवन शाला ग्रेड-IV

- (बी) गैर कोक कारी कोयला ग्रेड-सी

एक सौ पन्द्रह रुपये प्रतिटन

(iv) ग्रुप –IV कोयला

- (ए) गैर कोक कारी कोयला ग्रेड –डी

- (बी) गैर कोक कारी कोयला ग्रेड –ई

पिचासी रुपये प्रतिटन

(v) ग्रुप –V कोयला

- (ए) गैर कोक कारी कोयला ग्रेड-एफ

- (बी) गैर कोक कारी कोयला ग्रेड-जी

पैसठ रुपये प्रतिटन

लिग्नाइट

पचास रुपये प्रतिटन

(vi) ग्रुप –VI कोयला

आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित कोयला

नब्बे रुपये प्रतिटन

12. ताम्र	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट ताम्र धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय ताम्र धातु मूल्य का 3.2 प्रतिशत
13. कोरण्डम	विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार
14. हीरा	विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार
15. डोलोमाइट	पैंतालीस रुपए प्रतिटन
16. फेल्सपार	विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार
17. फायरक्ले (जिसके अंतर्गत प्लास्टिक, पाइप, लिथोमार्गिक और प्राकृतिक पोजोलेनिक क्ले भी है)	विक्रय मूल्य का 12 प्रतिशत मूल्यानुसार
18. फ्लूओरस्फार (जिसे फ्लूओराईट भी कहा जाता है)	विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत मूल्यानुसार
19. गार्नेट (क) अपघर्षक (ख) रत्न (जैम)	विक्रय मूल्य का 3 प्रतिशत मूल्यानुसार विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार
20. स्वर्ण (क) प्राथमिक (ख) उपोत्पाद स्वर्ण	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन बाजार संघ मूल्य (जिसे सामान्यतः "लंदन मूल्य" कहा जाता है) का डेढ़ प्रतिशत वास्तविक रूप से उत्पादित उपोत्पाद स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन बाजार संघ (जिसे सामान्यतः "लंदन मूल्य" कहा जाता है) का ढाई प्रतिशत
21. ग्रेफाइट (क) 80 प्रतिशत या उससे अधिक नियत कार्बन सहित (ख) 40 प्रतिशत या उससे अधिक नियत कार्बन सहित किन्तु 80 प्रतिशत से कम नियत कार्बन सहित (ग) 40 प्रतिशत से कम नियत कार्बन	दो सौ पच्चीस रूपये प्रति टन एक सौ तीस रूपये प्रति टन पचास रूपये प्रति टन

22. जिप्सम	विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत मूल्यानुसार
23. लौह अयस्क	
(i) लम्पस	
(क) जिसमें 65 प्रतिशत या उससे अधिक लौह तत्व हो	सत्ताईस रूपये प्रति टन
(ख) जिसमें 62 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 65 प्रतिशत से कम लौह तत्व हो	सोलह रूपये प्रति टन
(ग) जिसमें 62 प्रतिशत से कम लौह तत्व हो	ग्यारह रूपये प्रति टन
(ii) चूर्ण	
(क) जिसमें 65 प्रतिशत या उससे अधिक लौह तत्व हो	उन्नीस रूपये प्रति टन
(ख) जिसमें 62 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 65 प्रतिशत से कम लौह तत्व हो	ग्यारह रूपये प्रति टन
(ग) जिसमें 62 प्रतिशत से कम लौह तत्व हो	आठ रूपये प्रति टन
(iii) निम्न ग्रेड अयस्क जिसमें 40 प्रतिशत या उससे कम लौह तत्व हो, के सज्जीकरण और/अथवा सांद्रण द्वारा निर्मित सांद्रण	चार रूपये प्रति टन
24. कायनाइट	विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार
25. सीसा	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय सीसा धातु मूल्य का 5 प्रतिशत
26. चूनापत्थर	
(क) एल.डी. ग्रेड (जिसमें सिलिका की मात्रा 1.5 प्रतिशत से कम हैं)	पचपन रूपये प्रति टन
(ख) अन्य	पैंतालीस रूपये प्रति टन
27. चूना कंकर	पैंतालिस रूपये प्रति टन
28. लाइमशैल	पैंतालिस रूपये प्रति टन
29. मैग्नेसाइट	विक्रय मूल्य का 3 प्रतिशत मूल्यानुसार

<p>30. मैंगनीज अयस्क (क) सभी ग्रेडों का अयस्क (ख) सांद्रण</p>	<p>विक्रय मूल्य का 3 प्रतिशत मूल्यानुसार विक्रय मूल्य का 1 प्रतिशत मूल्यानुसार</p>
<p>31. अपरिष्कृत अभ्रक, अपशिष्ट अभ्रक और कतरन अभ्रक</p>	<p>विक्रय मूल्य का 4 प्रतिशत मूल्यानुसार</p>
<p>32. मोनेजाइट</p>	<p>एक सौ पच्चीस रुपये प्रति टन</p>
<p>33. निकल</p>	<p>उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट निकल धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम निकल धातु मूल्य का 0.12 प्रतिशत</p>
<p>34. ओकर</p>	<p>पन्द्रह रुपये प्रति टन</p>
<p>35. पाइराइट्स</p>	<p>विक्रय मूल्य का 2 प्रतिशत मूल्यानुसार</p>
<p>36. पाइरोफिलाइट</p>	<p>विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत मूल्यानुसार</p>
<p>37. क्वार्ट्ज, सिलिका बालू, सांचा बालू और क्वार्ट्जाइट</p>	<p>बीस रुपये प्रति टन</p>
<p>38. रुबी</p>	<p>विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार</p>
<p>39. भराई हेतु बालू (11.4.97)</p>	<p>तीन रुपये प्रति टन</p>
<p>40. सैलेनाइट</p>	<p>विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार</p>
<p>41. सिलीमेनाइट</p>	<p>विक्रय मूल्य का 2.5 प्रतिशत मूल्यानुसार</p>
<p>42. चांदी (क) उपोत्पाद</p>	<p>वास्तविक रूप से उत्पादित चांदी धातु उपोत्पाद पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम मूल्य का 5 प्रतिशत</p>
<p>(ख) प्राथमिक चांदी</p>	<p>उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट चांदी धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम चांदी धातु मूल्य का 5 प्रतिशत</p>
<p>43. स्लेट</p>	<p>पैंतालिस रुपये प्रति टन</p>
<p>44. टाल्क, स्टीटाइट और सोपस्टोन</p>	<p>विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत मूल्यानुसार</p>
<p>45. टिन</p>	<p>उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट टिन धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम टिन धातु मूल्य का 5 प्रतिशत मूल्यानुसार</p>

46. टंगस्टन प्रति टन डब्ल्यू ओ₃ के प्रति प्रतिशत अयस्क पर बीस रुपये प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर
47. यूरेनियम पांच रुपये (0.05 प्रतिशत मात्रा U₃ O₈ युक्त शुष्क अयस्क के लिये जिसमें आनुपातिक आधार पर 0.01 प्रतिशत की कमी/ बढ़ोत्तरी होने पर 1.50 रुपये प्रति मेट्रिक टन की कमी/बढ़ोत्तरी होगी)
48. वर्मीक्यूलाइट विक्रय मूल्य का 3 प्रतिशत मूल्यानुसार
49. वाल्लास्टोनाइट विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार
50. जस्ता उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट जस्ता धातु परप्रभार्य लंदन धातु विनिमय जस्ता धातु मूल्य का 6.6 प्रतिशत मूल्यानुसार
51. सभी अन्य खनिज जो इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट नहीं है (क्ले (अन्य) चाक, डायस्पोर, डूनाइट, फेलसाइट, फुस्काइट, क्वार्टजाइट, जस्पट, पेरेलाइट, राक साल्ट, शेल, पाइरोक्सेनाइट आदि)। विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार

टिप्पणी:— मद संख्या 11 के समाने विनिर्दिष्ट खनिज को छोड़कर, अन्य खनिजों की बाबत पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए स्वामित्व की दरें वही रहेंगी जो भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) अधिसूचना सं.सा.का.नि. 458 (ई) तारीख 5 मई, 1987 में विनिर्दिष्ट हैं ।

RATES OF ROYALTY OF MAJOR MINERALS
(14th October, 2004)

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | AGATE | Ten per cent of sale price on ad valorem basis. |
| 2. | APATITE AND ROCK PHOSPHATE | |
| | (i) APATITE : | Five per cent of sale price on ad valorem basis. |
| | (ii) ROCK PHOSPHATE: | |
| | (a) Above 25 per cent P ₂ O ₅ | Eleven per cent of the sale price on ad valorem basis. |
| | (b) upto 25 per cent P ₂ O ₅ | Five per cent of sale price on ad valorem basis. |
| 3. | ASBESTOS: | |
| | (a) Chrysotile | Eight hundred rupees per tonne. |
| | (b) Amphibole | Forty five rupees per tonne. |
| 4. | BARYTES | Five and half per cent of the sale price on ad valorem basis. |
| 5. | BAUXITE AND LATERITE | |
| | | (a) Zero point four zero per cent of London Metal Exchange Aluminium metal price chargeable on the contained aluminium metal in ore produced for those dispatched for use in alumina and aluminium metal extraction. |
| | | (b) 20 per cent of sale price on ad valorem basis for those dispatched for use other than alumina and aluminium metal extraction and for export. |
| 6. | BROWN ILMENITE (leucoxene)
Ilmenite, Rutile, and Zircon: | Two per cent of sale price on ad valorem basis. |
| 7. | CADMIUM | Ten per cent of sale price on ad valorem basis. |
| 8. | CALCITE | Fifteen per cent of sale price on ad valorem basis. |
| 9. | CHINACLAY/ KAOLIN
(including ballclay,
white shale and white clay) | |
| | (a) Crude | Twenty three rupees per tonne. |

(b) Processed (including washed)	Eighty five rupees per tonne.
10. CHROMITE	Seven and half per cent of sale price on ad valorem basis.
11. COAL (16.08.2002)	
A. Coal produced in all States and Union Territories Except the States of West Bengal.	
(i) Group-I coals:	
(a) Coking coal Steel Grade - I Steel Grade - II Washery Grade - II	} Two hundred and fifty rupees only per tonne.
(b) Hand picked coal produced in the states of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.	
(ii) Group- II Coals:	
(a) Coking Coal Washery Grade II Coking Coal Washery Grade III	} One hundred and sixty five rupees only per tonne
(b) Semi-Coking Coal Grade I Semi-Coking Coal Grade II	
(c) Non-Coking Coal Grade A Non-Coking Coal Grade B	
(d) Ungrade Run of Mine Coal produced in the states of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Nagaland.	
(iii) Group -III Coals:	
(a) Coking Coal Washery Grade IV	One hundred and fifteen rupees only per tonne.
(b) Non-Coking Coal Grade C	
(iv) Group- IV Coals:	
(a) Non-Coking Coal Grade D	Eigthy five rupees only per tonne.
(b) Non-Coking Coal Grade E	
(v) Group-V Coals:	
(a) Non-Coking Coal Grade F	Sixty-five rupees only per tonne.
(b) Non-Coking Coal Grade G	
Lignite:	Fifty rupees only per tonne

<p>(vi) Group-VI Coals: Coal produced in the State of Andhra Pradesh</p>	<p>Ninety rupees only per tonne</p>
<p>12. COPPER</p>	<p>Three point two per cent of London Metal exchange copper metal price chargeable on the contained copper metal in ore produced.</p>
<p>13. CORUNDUM</p>	<p>Ten per cent of sale price on ad valorem basis.</p>
<p>14. DIAMOND</p>	<p>Ten per cent of sale price on ad valorem basis.</p>
<p>15. DOLOMITE</p>	<p>Forty five rupees per tonne.</p>
<p>16. FELSPAR</p>	<p>Ten per cent of sale price on ad valorem basis.</p>
<p>17. FIRECLAY (including plastic, pipe lithomargic and natural pozzolanic clay)</p>	<p>Twelve per cent of sale price on ad valorem basis.</p>
<p>18. FLUORSPAR (also called fluorite)</p>	<p>Five per cent of sale price on ad valorem basis.</p>
<p>19. GARNET (a) Abrasive (b) Gem</p>	<p>Three per cent of sale price on ad valorem basis Ten per cent of sale price on ad valorem basis.</p>
<p>20. GOLD: (a) Primary</p>	<p>One and half per cent of London Bullion Market Association price (commonly referred to as "London Price") chargeable on the contained gold metal in ore produced.</p>
<p>(b) By- product gold</p>	<p>Two and half per cent of London Bullion Market Association price (commonly referred to as "London Price") chargeable on the by-product gold metal actually produced.</p>
<p>21. GRAPHITE:</p>	
<p>(a) With 80% or more fixed carbon</p>	<p>Two hundred twenty five rupees per tonne</p>
<p>(b) With 40% or more fixed carbon but less than 80% fixed carbon</p>	<p>One hundred thirty rupees per tonne</p>

	(c) With less than 40% fixed carbon	Fifty rupees per tonne.
22.	GYP SUM	Twenty per cent of sale price on ad valorem basis
23.	IRON ORE	
	(i) Lumps:	
	(a) With 65% Fe content or more	Twenty seven rupees per tonne.
	(b) With 62% Fe content or more but less than 65% Fe content	Sixteen rupees per tonne.
	(c) With less than 62% Fe content	Eleven rupees per tonne
	(ii) Fines	
	(a) With 65% Fe content or more	Nineteen rupees per tonne
	(b) With 62% Fe content or more but less than 65% Fe content	Eleven rupees per tonne
	(c) With less than 62% Fe content	Eight rupees per tonne
	(iii) Concentrates prepared by beneficiation and or concentration of low grade ore containing 40 % Fe or less	Four rupees per tonne
24.	KYANITE	Ten per cent of sale price on ad valorem basis.
25.	LEAD	Five per cent of London metal Exchange lead metal price chargeable on the contained lead metal in ore produced.
26.	LIMESTONE:	
	(a) L.D. grade (less than 1.5 per cent silica content)	Fifty five rupees per tonne.
	(b) Others	Forty five rupees per tonne.
27.	LIME KANKER	Forty five rupees per tonne.
28.	LIMESHELL	Forty five rupees per tonne.
29.	MAGNESITE	Three per cent of sale price on ad valorem basis.
30.	MANGANESE ORE:	
	(a) Ore of all grades	Three per cent of sale price on ad valorem basis.
	(b) Concentrate	One per cent of sale price on ad valorem basis.

31. CRUDE MICA, WASTE MICA AND SCRAP MICA	Four per cent of sale price on ad valorem basis.
32. MONAZITE	One hundred twenty five rupees per tonne.
33. NICKEL	Zero point one two per cent of London Metal Exchange nickel metal price chargeable on contained nickel metal in ore produced.
34. OCHRE	Fifteen rupees per tonne.
35. PYRITES	Two per cent of sale price on ad-valorem basis.
36. PYROPHYLLITE	Fifteen per cent of sale price on ad-valorem basis.
37. QUARTZ, SILICA SAND, MOULDING SAND AND QUARTZITE	Twenty rupess per tonne.
38. RUBY	Ten per cent of sale price on ad-valorem basis.
39. SAND FOR STOWING (11.4.1997)	Three rupees per tonne.
40. SELENITE	Ten per cent of sale price on ad-valorem basis.
41. SILIMANITE	Two and half per cent of sale price on ad valorem basis.
42. SILVER:	
a) By-product	Five per cent of London Metal Exchange price chargeable on by product silver metal actually produced.
b) Primary silver	Five per cent of London Metal Exchange silver metal price chargeable on the contained silver metal in ore produced.
43. SLATE	Forty Five rupees per tonne.
44. TALC/STEATITE/SOAPSTONE	Fifteen per cent of sale price on ad valorem basis.

45.	TIN	Five per cent of London Metal Exchange tin metal price chargeable on the contained tin metal in ore produced.
46.	TUNGSTEN	Twenty rupees per unit per cent of contained WO_3 per tonne of ore and on pro-rata basis.
47.	URANIUM	Five rupees (for dry ore with U_3O_8 content of Zero point zero five per cent with pro-rata increase/ decrease at the rate of one rupee and fifty paise per metric tonne of ore for Zero point zero one per cent increase/ decrease)
48.	VERMICULITE	Three per cent of sale price on ad valorem basis.
49.	WOLLASTONITE	Ten per cent of of sale price on ad valorem basis.
50.	ZINC	Six point six per cent of London Metal Exchange zinc metal price on ad valorem basis chargeable on contained zinc Metal in ore produced.
51.	All other minerals not herein before specified (clay (others), chaik, diaspore, dunite, folsite, furschite, quartzite, jasper, perlite, rock salt, shal, pyroxenite etc)	Ten per cent of sale price on ad valorem basis.

Note: - The rates of royalty for the State of West Bengal in respect of the minerals except the mineral specified against item No. 11 shall remain the same as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) number G.S.R 458 (E), dated the 5th May, 1987.